न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुझुनू

पीठासीन अधिकारी– एम0 आर0 बागड़िया
आर0ए0एस0

अपील संख्या–54 / 2017

1. रामचन्द्र उम्र 45 पुत्र भागुराम, जाति मीणा, पेशी खेती, निवासी खटकड़,तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
2. हरीराम उम्र 52 वर्ष पुत्र भागुराम, जाति मीणा, पेशी खेती, निवासी खटकड़,तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
3. गोपाल उम्र 48 वर्ष पुत्र भागुराम, जाति मीणा, पेशी खेती, निवासी खटकड़,तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

–अपीलान्ट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अ.धा. 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956
खिलाफ निर्णय दिनांक 08.09.2017 बअदालत नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी
मुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामचन्द्र वगैरा मु.न. 140 / 2017
अ.धा. 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री महीपाल सिंह शेखावत, एडवोकेट———————— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी ,एडवोकेट———————— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

– निर्णय– दिनांक–10.07.2018

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 08.09.2017 मुकदमा नंबर 140 / 2017 बमुकदमा उनवानी सरकार, बनाम रामचन्द्र वगैरह अन्तगर्त धारा 91 नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि –अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.09.2017 विरूद्ध कानून एवं पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत में प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 08.09.2017 वास्ते कार्यवाही जवाब हेतु नियत थी। उक्त तारीख पेशी पर अपीलांट गैर सायलान की तरफ से जवाब नोटिस प्रस्तुत

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

हुआ व साक्ष्य जुबानी व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अपीलांटस की ओर अदालत मातहत ने निवेदन किया गया, परन्तु अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। उक्त समस्त आराजीयात किस्म बंजड़ द्वितीय है, जिन पर अपीलांटस गैर सायलान का कदीम व पुराना कब्जा है, जिसकी बाबत राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावसरी व खसरा परिवर्तशील में उल्लेख है। काश्त की बाबत अपीलांटस के हक में रबी व खरीफ की दोनों फसलों के इन्द्राजात हैं, इसलिए प्रकरण नियमन का है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमन की सिफारिश न कर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है। योग्य अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया, क्योंकि उक्त निर्णय दिनांकित 08.09.2017 को पारित किया गया है और दिनांक 08.09.2017 की तारीख पेशी की आदेशिका पर अपीलांट गैरसायल रामचन्द्र की हाजरी के हस्ताक्षर दर्ज है। इसके बावजूद योग्य अदालत मातहत ने उक्त तारीख पेशी दिनांक 08.09. 2017 को गैर सायलान को अपने निर्णय में गैर हाजिर दर्जकर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाइल टाईप का निर्णय पारित कर दिया ,इसलिये भी उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 08.09.2017 को मय खर्चा खारिज किया जावे व वादग्रस्त आराजियात का नियमन अपीलांट के हक में किया जाना फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.09.2017 विरूद्व कानून एवं पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत में प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 08.09.2017 वास्ते कार्यवाही जवाब हेतु नियत थी। उक्त तारीख पेशी पर अपीलांट गैर सायलान की तरफ से जवाब नोटिस प्रस्तुत हुआ व साक्ष्य जुबानी व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अपीलांटस की ओर अदालत मातहत ने निवेदन किया गया, परन्तु अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही

अति. जिला

अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। उक्त समस्त आराजीयात किस्म बंजड़ द्वितीय है, जिन पर अपीलांटस गैर सायलान का कदीम व पुराना कब्जा है, जिसकी बाबत राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावसरी व खसरा परिवर्तशील में उल्लेख है। काश्त की बाबत अपीलांटस के हक में रबी व खरीफ की दोनों फसलों के इन्द्राजात हैं, इसलिए प्रकरण नियमन का है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमन की सिफारिश न कर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है। योग्य अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया, क्योंकि उक्त निर्णय दिनांकित 08.09.2017 को पारित किया गया है और दिनांक 08.09.2017 की तारीख पेशी की आदेशिका पर अपीलांट गैरसायल रामचन्द्र की हाजरी के हस्ताक्षर दर्ज है। इसके बावजूद योग्य अदालत मातहत ने उक्त तारीख पेशी दिनांक 08.09. 2017 को गैर सायलान को अपने निर्णय में गैर हाजिर दर्जकर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाइल टाईप का निर्णय पारित कर दिया ,इसलिये भी उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 08.09.2017 को मय खर्चा खारिज किया जावे व वादग्रस्त आराजियात का नियमन अपीलांट के हक में किया जाना फरमाया जावे।

दौराने बहस पैराकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी ने अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल काश्त कर अतिकमण किये जाने पर विधिक प्रकिया के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड खसरा परिवर्तित निरधार्ण एवं गैर मुसकिल काश्त ग्राम खटकड़ पटवार मण्डल केड के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 943, 949, 1137, किस्म बंजड़–2 जिस पर सम्वत 2050 से सम्वत 2074 आज तक लगातार अपीलांट रामचन्द्र, हरीराम व गोपाल पुत्र भागुराम जाति मीणा निवासी खटकड़ द्वारा बाजरा, गंवार सरसों, गेंहू चना आदि रबी एवं खरीफ की दोनों फसल काश्त करना दर्ज है। शेष भूमि खसरा नंबर 864 व 1138 पर भी काफी समय से कब्जा होना बताया गया है। अपीलांट का कथन कि वादग्रस्त भूमि की किस्म बंजड़–2 है जो अपीलांट के पुराने कब्जा काश्त के आधार पर प्रकरण नियमन योग्य है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय

अति. जिला कलक्टर
झुन्झुनू

की आदेशिका दिनांक 24.8.2017 के अनुसार पटवारी हल्का केड द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व रिपोर्ट अं0धारा 91 भू0 राजस्व अधि0 प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। और अतिक्रमी को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का नोटिस वास्ते तलबी एवं जवाब नोटिस हेतु पत्रावली आईन्दा तारीख पेशी दिनांक 8.9.2017 नियत की गई। दिनांक 8.9.2017 की आदेशिका में अंकित किया गया है कि" अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी रामचन्द्र उप0 होकर जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में निर्णय पृथक से टंकण कराया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। आदेशिका दिनांक 8.9.2017 पर अपीलांट रामचन्द्र के हस्ताक्षर भी अंकित हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2017 का अवलोकन किया गया है, जिसमें अप्रार्थीगण को अनुपस्थित अंकित किया गया है और निर्णय में नीचे अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की ओर से रामचन्द्र द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली रखा गया । अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमित रकबे के कब्जे के सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये और राजकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमी मानते हुये बेदखली का आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 08.9.2017 एक तरफ अपीलांट/अप्रार्थी को अनुपस्थित अंकित किया है दूसरी ओर अप्रार्थी रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस पर दिनांक 8.9.2017 की मार्किंग है । अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में वादग्रस्त भूमि पर सम्वत 2050 से लेकर आज तक अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना और उक्त भूमि का जुर्माना भी लगातार जमा करवाना व पूर्वजों के समय से काफी पुराना कब्जा होना बताया है और इस संबंध में राजस्व रिकार्ड भी उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 8.9.2017 में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के संबंध में कोई विवचना करना या उल्लेख करना मुनासिब नहीं समझा। वादग्रस्त भूमि की किस्म बंजड़-2 है और अपीलांट का सम्वत 2050 से आजतक लगातार रिकार्डेड कब्जा काश्त चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी ने वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के पुराने कब्जे के आधार नियमन की कार्यवाही क्यों नहीं की जा सकती, इस संबंध में कोई फाईडिंग अपने निर्णय में नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2017 को देखने से प्रतीत होता है कि उन्होंने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान से अवलोकन तक नहीं किया, पारित निर्णय घोर लापरवाही पूर्ण है जो विधिक प्रकिया के विरूद्व होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अति. जिला क...
झुंझनू

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी द्वारा पारित आदेश 08.09.2017 उनवानी सरकार बनाम रामचन्द्र वगैरा मु0 नं0 140/2017 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादग्रस्त भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के पुराने कब्जे के संबंध में राजस्व रिकार्ड एवं अन्य साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर राज0 सरकार द्वारा नियमन के संबंध में जारी अधिसूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में जो भूमि पुराने कब्जे के आधार पर नियमन योग्य पायी जाती है, उस पर नियमन की कार्यवाही करें तथा पूर्ण विवेचना के साथ पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागडिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 10.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागडिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू